भारत संघ

बनाम

संजय कुमार जैन

11 अगस्त, 2004

(न्यायमूर्ति अरिजीत पासायत और न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर)

सेवा कानूनः

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 की उप-धारा 2 के अध्यधीन संस्थापन नियमावली; पैरा 189 एः

उच्च पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से इस आधार पर इनकार किया गया कि पदधारी को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया-चुनौती दी गई-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा चुनौती को स्वीकार करते हुए निर्धारित किया, कि शारीरिक अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से इनकार करना भेदभाव के बराबर है-अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 47 (2) के संदर्भ में, विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता है-इस धारा का परन्तुक सरकार को किसी भी संस्थापन को आवेदन से बाहर करने की स्वच्छंद शक्ति नहीं देता है जब तक कि कुछ विनिर्दिष्ट

परिस्थितियां मौजूद न हों और अधिसूचना जारी न की जाए-चूंकि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए शारीरिक अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से इनकार करना न्यायोचित नहीं है।

उत्तरदाता-ए समूह-सी कर्मचारी जिसे समूह-बी पद पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में योग्य घोषित किया गया था और उसे पदोन्नति से पहले चिकित्सा परीक्षण और मौखिक परीक्षा से गुजरना था। हालांकि, उन्हें चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया। इसलिए, उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था। प्रत्यर्थी ने कैट के समक्ष याचिका दायर करके इसे चुनौती दी। कैट ने माना कि शारीरिक अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से इनकार करना भेदभाव के बराबर है। अपीलार्थी-भारत संघ ने आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी संस्थापन को धारा 47 (2) के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए संरक्षण से वंचित कर सकती है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया

1.1. विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 की उप-धारा (2) स्पष्ट शब्दों में प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता के आधार पर

पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। जाहिर है, इस मामले में, प्रतिवादी को इस आधार पर पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना गया कि उन्हें दृष्टिबाधित माना गया था। अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) का प्रावधान केवल समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी संस्थापन जिसे इन प्रावधानों से छूट देने के लिए निर्दिष्ट करता है लेकिन यह सरकार को किसी भी संस्थापन को धारा के दायरे से किसी भी संस्थापन को बाहर करने की असीमित शक्ति नहीं देता है। केवल कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही बाहर किया जा सकता है। अधिसूचना जारी की जा सकती है जब समुचित सरकार, किसी भी संस्थापन में किए गए काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे संस्थापन को उक्त प्रावधानों से छूट देना उचित समझती है। अधिसूचना के अभाव में परंतुक काम नहीं करता है। (468-ई-एफ-जी-एच; 469-बी)

1.2. एक परंतुक का सामान्य कार्य यह है कि उस अधिनियमिती से किसी बात को बाहर रखना जो कि परंतुक के अभाव में उस अधिनियमिति के दायरे में होती। जब किसी को एक धारा के लिए एक परंतुक मिलता है तो स्वाभाविक धारणा यह होती है कि धारा के अधिनियमिति वाले भाग में परंतुक की विषय वस्तु शामिल होती। परंतुक का उचित कार्य किसी ऐसे मामले को अलग करना और उससे निपटना है जो अन्यथा प्रावधान के दायरे में आता है। एक सामान्य नियम के रूप में, एक परंतुक को एक अधिनियम में जोड़ा जाता है ताकि अधिनियमिति में जो है उसका अपवाद

बनाया जा सके और आम तौर पर, एक परंतुक की व्याख्या एक सामान्य नियम के रूप में नहीं की जाती है। (469-ए; डी-ई)

शाह भोजराज कुवेरजी ऑयल मिल्स एंड जिनिंग फैक्ट्री बनाम सुभाष चंद्र योगराज सिन्हा, ए. आई. आर. (1961) एस. सी. 1596; कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड बनाम कलकत्ता निगम, ए. आई. आर.(1965) एससी 1728; ए. एन. सहगल और अन्य बनाम राजे राम श्योराम और अन्य ए. आई. आर.(1991) एससी 1406; त्रिभुवनदास हरिभाई तंबोली बनाम गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण और अन्य ए. आई. आर. (1991) एस. सी. 1538; केरल राज्य आवास बोर्ड और अन्य बनाम रामाप्रिया होटल्स (प्रा.) लिमिटेड और अन्य (1994) 5 एस. सी. सी. 672 और अली एम. के. और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य , (2003)4 पैमाना 197, सहारा लिया गया।

वेस्ट डर्बी यूनियन बनाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ एस्योरेंस कंपनी, (1897) एसी 647 एचएल; फोर्ब्स बनाम गिट, (1922) 1 ए. सी. 256; आर. बनाम टौनटन, सेंट जेम्स, 9 बी. एंड सी. 836; रे बार्कर, 25 क्यू. बी. डी. 285 और जेनिंग्स बनाम केली, (1940) ए. सी. 206, संदर्भित।

कोक अपॉन लिटिलटन का 18 वां संस्करण, 146, संदर्भित है।

1.3 यदि अधिनियम कि धारा 47 की उप-धारा (2) के परंतुक के संदर्भ में कोई अधिसूचना उपयुक्त सरकार द्वारा जारी की जाती है तो वह

उस संस्थापन के संदर्भ में भी प्रयोज्य होगी जिसे विनिर्दिष्टतः बाहर किया गया है। जैसा कि वर्तमान मामले से संबंधित है ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसलिए, मामले के तथ्यों पर, न्यायाधिकरण का आदेश जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। (470- एफ-जी)

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 5178/2004.

दिल्ली उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. सं. 5898/2002 में दिनांकित 4.12.2002 निर्णय और आदेश से

एम. एन. कृष्णमणि, हेमंत शर्मा और श्रीमती अनिल कटियार अपीलार्थी की ओर से

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से।

निर्णय न्यायमूर्ति अरिजीत पासायत द्वारा सुनाया गया।

अनुमति दी गई।

भारत संघ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में 'कैट') द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है।

संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार हैः

प्रतिवादी ने रेलवे के ग्रुप-सी पद पर काम करते हुए ग्रुप-बी पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन किया था। वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्हें भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (संक्षेप में 'स्थापना नियमावली) के पैरा 531(बी) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का निर्देश दिया गया।

रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 31.10.1991 के अनुसार उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने से पहले मेडिकल टेस्ट पास करना आवश्यक है। प्रतिवादी को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया क्योंकि वह दृष्टिबाधित था। उनका मामला दोनों आंखों पर उन्नत पेट्रीराइटिस पिगमेंट के साथ बाहरी भेंगापन का है। यह एक ऐसी बीमारी है जो आंखों की रोशनी को धीरे-धीरे प्रभावित करती है। उसे अयोग्य माना गया क्योंकि भविष्य में वह दृष्टिबाधित हो सकता था। इसलिए प्रतिवादी को मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने कैट के समक्ष ओ. ए. नं. 439/2001 दायर किया, जिसमें आदेश दिनांकित 20.9.2000 को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि उसे मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पक्षों को सुनने के बाद कैट ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी (उसके समक्ष आवेदक) के मामले पर विचार करते समय विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधान) को

ध्यान में नहीं रखा गया। कैट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि स्थापना नियमावली में एक नया पैराग्राफ 189ए पेश किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल शारीरिक विकलांगता के आधार पर पदोन्नति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तदनुसार कैट द्वारा आवेदन को अनुमति दे दी गई।

भारत संघ ने एक रिट याचिका दायर करके कैट के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) पर ध्यान देते हुए कहा कि कैट का आदेश बिल्कुल सही है।

अपील के समर्थन में, वरिष्ठ वकील श्री एमएन कृष्णमणि ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) का जिक्र करते समय कैट और उच्च न्यायालय दोनों ने उप-धारा (2) के प्रावधानों की अनदेखी की। धारा 47 जो उपयुक्त सरकार को किसी भी संस्थापन को अधिसूचना द्वारा धारा के प्रावधानों से बाहर करने की अनुमति देती है। उनके अनुसार, ग्रुप-बी के कर्मचारियों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, विशेष रूप से, जो दृष्टि से विकलांग है, वह काम के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मेडिकल टेस्ट में फेल होने के बाद प्रतिवादी को राहत देना उच्च न्यायालय और कैट के लिए उचित नहीं था। यह कथित किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा

47 की उप-धारा (2) का परन्तुक यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि उक्त प्रावधान द्वारा दी गई सुरक्षा को युक्तियुक्त मामलों में इंकार किया जा सकता है और यह मामला इसी तरह के मामलों में से एक है।

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए प्रतिवादी ने कहा कि कैट और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णयों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने के कारण हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

चूंकि विवाद अधिनियम की धारा 47 के आसपास घूमता है, इसलिए उस प्रावधान को उद्धृत करना उचित होगा जो इस प्रकार हैः

"धारा 47: सरकारी नौकरियों में भेदभाव न करना-(1) कोई भी संस्थापन सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारी को नौकरी से अलग नहीं करेगा, या उसका रैंक कम नहीं करेगाः बशर्ते, यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद अपने पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि यदि कर्मचारी को किसी भी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, एक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है।

(2) किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगाः बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी संस्थापन में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है, किसी भी संस्थापन को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।"

इस अधिनियम को जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में दर्शाया गया है एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए एशियाई और प्रशांत दशक 1993-2002 को शुरू करने के लिए एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा 1 से 5 दिसंबर, 1992 को बीजिंग में आयोजित एक बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर एक उद्घोषणा को अपनाया गया था। हमारा देश उक्त उद्घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है। उद्घोषणा निम्नलिखित पंक्तियों में थीः

"उद्घोषणा को पूर्ण प्रभाव देने के लिए निम्नलिखित मामलों के लिए एक कानून बनाना आवश्यक महसूस किया गयाः

(अ) विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता की रोकथाम, अधिकारों की सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और पुनर्वास के प्रावधान के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का वर्णन करना;

(ब) विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना;

(स) गैर-विकलांग व्यक्तियों की तुलना में विकास लाभों के बंटवारे में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी भेदभाव को दूर करना;

(द) विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण की किसी भी स्थिति का प्रतिकार करना;

(य) कार्यक्रमों और सेवाओं के व्यापक विकास और विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता के लिए एक रणनीति तैयार करना; और

(र) विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान करना।"

धारा 47 की उप-धारा (1) में स्पष्ट शब्दों में प्रावधान है कि सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और कोई भी संस्थापन किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान पद से हटा नहीं सकता है या उसका रैंक कम नहीं कर सकता है। उपधारा (2) हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रावधान करता है कि केवल

उसकी विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। मौजूदा मामले में, स्पष्टतः प्रतिवादी को इस आधार पर पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना क्योंकि उसे दृष्टिबाधित माना गया था। श्री कृष्णमणि द्वारा धारा 47 की उप-धारा (2) के प्रावधान पर बहुत जोर दिया गया था। यह अपीलकर्ता के मामले को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह से सहायक नहीं है। वास्तव में यह उपयुक्त सरकार को केवल अधिसूचना द्वारा किसी भी संस्थापन को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है जिसे धारा 47 के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है। यह किसी भी संस्थापन को धारा 47 के दायरे से बाहर करने की असीमित शक्ति नहीं देता है। बहिष्करण केवल कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। वे हैं

(अ) अधिसूचना जारी करना।

(ब) अधिसूचना में अपेक्षित शर्तें निर्धारित करना।

अधिसूचना तब जारी की जा सकती है जब उपयुक्त सरकार, किसी संस्थापन में किए जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, ऐसे संस्थापन को धारा 47 के प्रावधानों से छूट देना उचित समझती है। इसकी उप-धारा (2) का प्रावधान अधिसूचना के अभाव में लागू नहीं होता है।

एक परंतुक का सामान्य कार्य यह है कि उस अधिनियमिती से किसी भाग को बाहर रखना जो कि परंतुक के अभाव में उस अधिनियमिति के दायरे में होता। जैसा कि मुलिंस बनाम कोषाध्यक्ष सर्वेक्षण (1880 (5)

क्यूबीडी 170, (शाह भोजराज कुवेरजी ऑयल मिल्स एंड जिनिंग फैक्ट्री बनाम सुभाष चंद्र योगराज सिन्हा (एआईआर 1961 एससी 1596) और कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड बनाम कलकत्ता निगम (एआईआर 1965 एससी 1728); में संदर्भित) में कहा गया था। जब कोई किसी धारा के लिए कोई परंतुक पाता है तो स्वाभाविक धारणा यह होती है धारा के अधिनियमित भाग में परंतुक की विषय-वस्तु शामिल होती। परंतुक का उचित कार्य ऐसे मामले को छोड़ना और उससे निपटना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा में आता है और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। यह पूर्ववर्ती अधिनियम की एक योग्यता है जिसे काफी सटीक होने के लिए बहुत सामान्य शब्दों में व्यक्त किया गया है। एक सामान्य नियम के रूप में, अधिनियम में जो कुछ है उसे अपवाद बनाने के लिए एक अधिनियम में एक परंतुक जोड़ा जाता है और आमतौर पर, एक प्रावधान को एक सामान्य नियम बताने के रूप में व्याख्या नहीं किया जाता है। "यदि क़ानून के अधिनियमित भाग की भाषा में वे प्रावधान शामिल नहीं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप इन प्रावधानों को किसी परंतुक के निहितार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। "वेस्ट डर्बी यूनियन बनाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ एश्योरेंस कंपनी (1897 एसी 647) (एचएल) में लॉर्ड वॉटसन ने कहा आम तौर पर, एक परंतुक उस प्रावधान से आगे नहीं बढ़ता है जिसके लिए वह एक परंतुक है। यह उस मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद प्रस्तुत करता है जिसके लिए इसे एक परंतुक के रूप में

अधिनियमित किया गया है, किसी अन्य के लिए नहीं। (देखें एएन सहगल और अन्य बनाम राजे राम श्योराम और अन्य । (एआईआर 1991 एससी 1406), त्रिभोवनदास हरिभाई तम्बोली बनाम गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण और अन्य (एआईआर 1991 एससी 1538) और केरल राज्य हाउसिंग बोर्ड और अन्य बनाम रामाप्रिया होटल्स (प्रा.) लिमिटेड और अन्य . (1994 (5) एससीसी 672)।

"इस शब्द (परंतुक) के विविध संचालन हैं। कभी-कभी यह एक योग्यता या सीमा का काम करता है; कभी-कभी एक शर्त; और कभी-कभी एक अनुबंध" (कोक अपॉन लिटलटन 18 वां संस्करण, 146)

"यदि किसी विलेख में पहले वाले चरण के बाद, बाद वाला चरण आता है तो पहले वाले चरण द्वारा बनाई गई बाध्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो बाद वाले चरण को प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया जाता है और पहले वाला चरण प्रबल होता है..... लेकिन यदि बाद वाला चरण नष्ट नहीं करता है बल्कि केवल पहले वाले को योग्य बनाता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और समग्र रूप से विलेख द्वारा प्रकट किए गए पक्षों के इरादे पर प्रभाव डाला जाए"(फोर्ब्स बनाम गिट में लॉर्ड व्रेनबरी के अनुसार (1922) 1 एसी 256)।

एक वैधानिक परंतुक पिछले अधिनियमन में कुछ नया उत्पन्न करता है। (आर. वी. टॉनटन, सेंट जेम्स, 9 बी. और सी. 836)।

"सामान्य अधिनियमन के बाद आने वाले परंतुक का सामान्य और उचित कार्य उस सामान्य अधिनियमन को कुछ उदाहरणों में सीमित करना ह" (रे बार्कर में लॉर्ड एशर के अनुसार, 25 क्यूबीडी 285)।

किसी धारा के प्रावधान का उपयोग अधिनियमित भाग में कुछ ऐसा आयात करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो वहां नहीं है, लेकिन जहां अधिनियमित भाग कई संभावित अर्थों के लिए अतिसंवेदनशील है, इसे प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है (जेनिंग्स बनाम केली (1940) एसी 206 देखें)

उपरोक्त स्थिति अली एम.के. एवं अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2003 (4) स्केल 197) में नोट की गई थी।

हालाँकि यह तर्क देने के लिए कई दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया था कि नियोक्ता का इरादा कुछ संस्थापनो को बाहर करने का था, लेकिन उनके अवलोकन से पता चलता है कि उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और वे किसी भी तरह से धारा 47 की उप-धारा (2) के प्रावधान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की जाती है तो वह उस संस्थापन के संबंध में लागू होगी जिसे विशेष रूप से छूट दी गई है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह स्थिति नहीं है। इसलिए, मामले के तथ्यों पर, अधिकरण के आदेश की उच्च न्यायालय

द्वारा आक्षेपित निर्णय के द्वारा पुष्टि की गई है, उसमें कोई कमी नहीं होने से हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील विफल है और तदनुसार खर्च के संबंध में कोई आदेश दिए बिना खारिज की जाती है।

एस.के.एस. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार दारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।